वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी उपस्थित नहीं। इनके अनुपस्थित रहने के कारण प्रार्थ पत्र से संबंधित मूल वाद खारिज हो चुका है जिससे यह प्रार्थना पत्र भी आगे चलने योग्य नहीं है अतः इसी स्तर पर खारिज किया है।

पत्रावली निर्णय से अनुसार की

जाकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो एवं मूल दावा के विलगन हो।